

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 794/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

इण्डिया बुल्स हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पांचवा तल, बिल्डिंग नम्बर 27, के.जी. मार्ग कर्नाट पैलेस,
नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. भीना राजवानी प्रोपराईटर श्री ओम साई सारिज
पता :- मकान नम्बर 111/79, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।
एवं 1 गोपाल प्लाजा, कशीदा गली, नियर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
एवं फ्लेट नम्बर 103, तृतीय तल, प्लाट नम्बर 1, राधा निकुंज, ब्लॉक सी, ग्राम बलरामपुरा,
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. पंकज राजवानी
पता :- मकान नम्बर 111/79, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।
एवं फ्लेट नम्बर 103, तृतीय तल, प्लाट नम्बर 1, राधा निकुंज, ब्लॉक सी, ग्राम बलरामपुरा,
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. कमल कुमार राजवानी
पता :- मकान नम्बर 111/79, विजय पथ, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर।
एवं फ्लेट नम्बर 103, तृतीय तल, प्लाट नम्बर 1, राधा निकुंज, ब्लॉक सी, ग्राम बलरामपुरा,
तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002.

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.06.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मीना राजवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 103, थर्ड फ्लोर, प्लाट नम्बर 1, राधा निकुंज योजना, ब्लॉक सी, ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेजडो का बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 1080 वर्गफीट को बन्धक रख कर 17,34,298/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.09.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest


५१
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिकता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भरोसावति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 17,34,268/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. धारित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 17,35,589.09/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 24.09.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा विलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मीना राजवानी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 103, थर्ड फ्लोर, फ्लैट नम्बर 1, राधा निकुंज योजना, ब्लॉक सी, ग्राम बलरामपुरा चर्क खेजडो का बास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 1080 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जाये की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल किया जाना आवश्यक है।



आदेश आज दिनांक 23.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला नॉजस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर